

‘खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना’ के प्रारूप को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

4 जुलाई, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खादी को बढ़ावा देने और खादी कामगारों के प्रोत्साहन के लिये ‘खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना’ के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- साथ ही उन्होंने वर्ष 2022-23 में कामगारों की आर्थिक सहायता के लिये 9 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की है।
- इस स्वीकृति से प्रदेश के लगभग 20 हजार खादी कामगारों को पर्याप्त पारिश्रमिक मिलेगा। इससे उनके जीवनयापन में सुधार हो सकेगा।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के खादी कर्तन/बुनकरों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कॉस्ट चार्ट अनुसार निर्धारित दरों के अतिरिक्त प्रतगुंडी/प्रतवर्ग मीटर बतौर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा खादी संस्था/समितियों में कार्यरत कार्यकर्ताओं को भी खादी संस्था/समितियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर प्रतवर्ग मीटर के अनुसार प्रोत्साहन राशि मिल सकेगी।
- इस योजना हेतु सॉफ्टवेयर के निर्माण, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं डाटा एंट्री सहित अन्य कार्यों के लिये 36 लाख रुपए का व्यय होगा।
- योजना में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी संस्था/समितियों के जरूरी कामगारों के आवेदन आमंत्रित किये जाएंगे। कामगारों को प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 में खादी क्षेत्र के कामगारों यथा कर्तन/बुनकरों एवं कार्यकर्ताओं को पर्याप्त पारिश्रमिक दिलाए जाने हेतु ‘खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना’ लागू करने की घोषणा की थी।